न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :— सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :— 60/2021 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2021/182**
दायर दिनांक :— 06.08.2021 **निर्णय दिनांक :— 23.12.2024**

1. आनन्दसिंह पुत्र मंगलसिंह फौत के कायम मुकाम

1/1 भंवरसिंह पुत्र आनन्दसिंह जाति राजपूत निवासी शिवनाथ नगर शेखासर तहसील बाप

1/2 देवीसिंह पुत्र आनन्दसिंह जाति राजपूत निवासी शिवनाथ नगर शेखासर तहसील बाप

1/3 भवानीसिंह पुत्र आनन्दसिंह जाति राजपूत निवासी शिवनाथ नगर शेखासर तहसील बाप

1/4 किशोरसिंह पुत्र आनन्दसिंह जाति राजपूत निवासी शिवनाथ नगर शेखासर तहसील बाप

1/5 गुमानकंवर पत्नी आनन्दसिंह जाति राजपूत निवासी शिवनाथ नगर शेखासर तहसील बाप

1/6 मगीकंवर पुत्री आनन्दसिंह जाति राजपूत निवासी सांकड़ा तहसील पोकरण जिला जैसलमेंर

1/7 संजुकंवर पुत्री आनन्दसिंह जाति राजपूत निवासी लूणा तहसील पोकरण जिला जैसलमेंर

1/8 संतुकंवर पुत्री आनन्दसिंह जाति राजपूत निवासी बूडकिया तहसील देचू जिला फलोदी

1/9 दरिया कंवर पुत्री आनन्दसिंह जाति राजपूत निवासी बूडकिया तहसील देचू जिला फलोदी

1/10 कमला कंवर पुत्री आन्नदसिंह जाति राजपूत निवासी नया बेरा मूंजासर तहसील लोहावट

2. भगवानसिंह पुत्र मंगलसिंह जाति राजपूत निवासी शिवनाथ नगर शेखासर तहसील बाप
3. हरिसिंह पुत्र मंगलसिंह राजपूत निवासी शिवनाथ नगर शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी

—प्रार्थी

बनाम

1. राजेन्द्रसिंह पुत्र बलवन्तसिंह जाति राजपूत नि. शिवनाथनगर शेखासर तह. बाप जिला फलोदी
2. भंवर कंवर पत्नी बलवन्तसिंह जाति राजपूत नि. शिवनाथनगर शेखासर तह. बाप जिला फलोदी
3. रहमतुल्ला पुत्र अब्दुल अजीज जाति मुसलमान निवासी दादे का थान शेखासर तहसील बाप
4. सहिद खांन पुत्र अब्दुल अजीज जाति मुसलमान निवास केशरपुरा भीवजी का गांव तहसील बाप

—अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :—1. श्री मदनसिंह भाटी अधिवक्ता प्रार्थीगण

2. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की और से

—:: निर्णय ::—

प्रार्थीगण ने एक नियमित राजस्व वाद घोषणा एवं जारी करवाने स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय हाजा में अप्रार्थीगण के विरूद्व पेश किया है प्रार्थीगण का वाद अभिवचन एवं दस्तावेजात के अधार पर प्रथम दृष्टयां साबित है एवं प्रार्थीगण को वाद में सफलता मिलने की शत प्रतिशत उम्मीद है। प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण खातेदारी अधिकारों की कब्जा काश्त भूमि खसरा नम्बर 17 रकबा 4—10

23/12/24
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

बीधा और खसरा नम्बर 18 रकबा 49–13 बीघा सरहद मौजा ग्राम शिवनाथनगर में आई हुई है। अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 हल्का पटवारी और सरपंच ग्राम पंचयात शेखासर से मिलावट कर विक्रय विलेख के जरिये वास्तव में कोई हकूक हस्तान्तरित नहीं होने और मौके पर वास्तविक एंव भौतिक कब्जा प्राप्त नहीं होने के बावजूद अपने नाम नामान्तरकरण खुलवा कर स्वीकृत करवाने पर आमादा है। अप्रार्थीगण ने आकर प्रार्थीगण को धमकी दी कि वादग्रस्त भमि पर कब्जा करेगें और तुम्हे बेदखल कर देगे। अप्रार्थीगण अपने मन्सूबों में सफल हो जाते है तो प्रार्थीगण की कदीमी भूमि पर नाजायज कब्जा करने से प्रार्थीगण के जायज हकूकों पर कुठाराघात होगा और प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसका मूल्याकंन रूपयों में नहीं आंका जा सकेगा। प्रार्थीगण दावेदार है और अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने के जायज हकदार है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण की और से अधिवक्ता राजेन्द्रसिंह सोंलकी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जमाबंदी इत्यादि का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि विवादग्रस्त खसरान् की भूमि में प्रार्थीगण का हक हिस्सा बनता है या नहीं इसका निर्धारण मूल वाद में जवाब, साक्ष्य सुनवाई के उपरान्त ही किया जा सकता है। अतः पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात के आधार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूरणीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:आदेशः–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.)

23/12/24

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)